

पूर्व मध्य रेल

संरक्षा बुलेटिन न०-05 / 2022

कार्यालय
महाप्रबंधक / संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं०: ईसीआर / संरक्षा बुलेटिन / 05 / 22

दिनांक: 16.08.2022

विषय: कमजोर ब्रेक पॉवर या गाड़ी के अनियंत्रित होने एवं स्टेशन से ट्रेन/वैगन के भागने इत्यादि की सूचना प्राप्त होने पर की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई ।

पृष्ठभूमि :- दिनांक 07.08.2022 को मालगाड़ी डाउन किंशनगंज लोको सं० 32010 कुर्सेला स्टेशन से 19.24 बजे चली । डाउन किंशनगंज के लोको पायलट को बखरी स्टेशन का डाउन डिस्टेंट सिग्नल हरा एवं होम सिग्नल पीला मिला । होम सिग्नल के पीला मिलने पर लोको पायलट द्वारा ब्रेक ए-9 का प्रयोग करते हुए बी.पी. प्रेशर गिराया गया लेकिन बी.पी. प्रेशर नहीं ड्रॉप हुआ । इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया फिर भी बी.पी. प्रेशर नहीं ड्रॉप हुआ । सहायक लोको पायलट के अनुसार RS Valve भी operate किया गया लेकिन बी.पी. प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा था और गाड़ी की गति कम नहीं हो रही थी । लोको पायलट द्वारा स्टेशन मास्टर/बखरी को स्टार्टर सिग्नल देने के लिए कहा गया क्योंकि स्टार्टर सिग्नल लाल था और गाड़ी अनियंत्रित थी । 19.31 बजे स्टेशन मास्टर बखरी द्वारा डाउन किंशनगंज के लिए लाईन क्लियर लिया गया और 19.32 बजे डाउन किंशनगंज के लिए स्टार्टर सिग्नल ऑफ किया गया । लोको पायलट ने वॉकी-टॉकी पर गार्ड को ब्रेक लगाने के लिए कहा । लोको पायलट से इस बारे में सूचना मिलने पर गार्ड द्वारा प्रेशर गिराया गया । लोको पायलट द्वारा इमरजेंसी स्वीच का उपयोग किया गया । गाड़ी 19.33 बजे स्टार्टर पास कर गई तथा स्टार्टर से लगभग 30 मीटर आगे जाकर 19.34 बजे गाड़ी रूक गई ।

की जानेवाली कार्रवाई एवं सावधानियाँ :-

इस प्रकार की परिस्थितियों यथा लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी का अनियंत्रित रहना, स्पैड की स्थिति में, आग लगने की स्थिति में या ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी या वैगनों का ब्लॉक सेक्शन में बिना उचित प्राधिकार के प्रवेश की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है:-

1. सर्वप्रथम प्रभावित खंड के ओ.एच.ई. को स्टेशन मास्टर/सेक्शन कंट्रोलर द्वारा तत्काल ऑफ करने की कार्रवाई करेगा ।
2. लोको पायलट/सहायक लोको पायलट सिग्नल के संकेत को सावधानीपूर्वक देखेगा तथा सिग्नल के संकेत के अनुसार समय से अपनी गाड़ी के गति को समुचित रूप से नियंत्रित करेगा ।
3. यदि लोको पायलट के द्वारा ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो तत्काल इसकी सूचना उपलब्ध संचार साधनों द्वारा गार्ड को देगा तथा ब्रेक लगाने के लिए कहेगा । लोको पायलट से ऐसी सूचना मिलने पर गार्ड तत्काल गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए सामान्य एवं सहायक नियम 4.46 के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा ।
4. इसकी सूचना लोको पायलट स्टेशन मास्टर को भी देगा । ऐसी परिस्थिति में लोको पायलट द्वारा यह सूचित किये जाने के बाद की ब्रेक लगाने के बावजूद गाड़ी की गति कम नहीं हो रही है और अनियंत्रित है तो स्टेशन मास्टर तत्काल सेक्शन कंट्रोलर और टी.पी.सी. कंट्रोल को सूचित कर तत्काल ओ.एच.ई. ऑफ करने के लिए कहेगा एवं सुनिश्चित करेगा ।
5. यदि किसी स्टेशन से भाग रहे गाड़ी/वाहन को रोकने में स्टेशन मास्टर समर्थ नहीं होता है तो जिस दिशा में गाड़ी/वाहन भाग रहा है उस दिशा के अगले स्टेशन को 'वाहन भाग रहे हैं' का संकेत देगा तथा इस संबंध में सहायक नियम 6.11 में वर्णित नियमों का सर्वसंबंधित द्वारा अनुपालन किया जाएगा ।

6. विद्युतीकृत क्षेत्र में किसी ट्रेन इंजन में आग लगने/कोच या वैगन में आग लगने की स्थिति में जिससे ओ.एच.ई. पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ओ.एच.ई. को तत्काल ऑफ किया जाएगा । पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम किताब के सामान्य नियम 6.10 एवं सहायक नियम 6.10 में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
7. यदि कोई गाड़ी स्टार्टर या एंडवांस स्टार्टर सिगनल को ऑन स्थिति में बिना उचित प्राधिकार के पार करते हुए या स्पैड करते हुए अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाता है तो स्टेशन मास्टर/सेक्शन कंट्रोलर के संज्ञान में आते ही तत्काल ओ.एच.ई. ऑफ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ।

सर्वसंबंधित द्वारा उपरोक्त के साथ सामान्य एवं सहायक नियम किताब में वर्णित अन्य नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । सभी मंडलों के पर्यवेक्षक तथा अधिकारीगण निरीक्षण के दौरान उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(शिव कुमार प्रसाद)
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

(बी. के. दास)
मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य

प्रतिलिपि :-

1. महाप्रबंधक के सचिव – महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र० मु० परि० प्र०, प्र० मु० इंजी०, प्र० मु० वि० इंजी०, प्र० मु० सि०एवंदू० सं० इंजी०, प्र० मु० या० इंजी० – को सादर सूचनार्थ ।
3. मु० या० यो० प्र०, मु० या० या० प्र०, मुख्य ट्रैक इंजी०, मु० सि० इंजी०, मु० वि० वि० इंजी०, मु० वि०लो० इंजी०
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसंअ०, वमपरिप्र०, वमंविई०(टीआडी), वमंविई०(परि०), वमंसिदूई०/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।